

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय मंडलायुक्त (राजस्व)
संसदीय शाखा,
5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली।

अतारांकित प्रश्न संख्या : 60

राजस्व विभाग

दिनांक 25.02.2019

प्रश्नकर्ता का नाम : माननीय विधायक श्री पंकज पुष्कर जी

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि सीडी-9 के अन्तर्गत आने वाली भूमि के सम्बंध में दिनांक 15.07.2010 को तत्कालीन अभियन्ता श्री तारा सिंह के द्वारा एसडीएम तथा एस.ई. को लिखे पत्र एफ 16(32)/ईई/सीडी9/डीबी/2010-11 /1538-42 में खसरा संख्या 275/175/1 एवं 275/175/2 के अतिक्रमण के मामले की जाँच एवं कार्रवाई की वस्तुस्थिति क्या है; और	कथित पत्र दिनांक 15.07.2010 एसडीएम (सिविल लाइन्स) के रिकार्ड में नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में सीडी-9 से प्राप्त फोटोकापी से ज्ञात होता है कि खसरा नं. 275/175/1 तथा 275/175 /2 ग्राम वजीराबाद कि डिमार्केशन दिनांक 23.06.2010 को कर दी गयी थी तथा डिमार्केशन रिपोर्ट की कॉपी भी सीडी 9 को उपलब्ध करवा दी गयी थी। क्योंकि रिकॉर्ड के अनुसार इस डिमार्केशन रिपोर्ट को किसी अपीलीय कोर्ट ने निरस्त नहीं किया है यह रिपोर्ट ही मान्य है। फिर भी यदि सिंचाई विभाग दोबारा डिमार्केशन करवाना चाहता है तो सिंचाई विभाग डिमार्केशन कि फीस सर्वेयर को देकर दोबारा डिमार्केशन करवा सकता है।
ख)	दिनांक 23.06.2010 को किए गए डिमार्केशन की प्रति उपलब्ध कराएं?	प्रतिलिपि अनुलग्नक 'ख' में संलग्न है।

इसकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ली गई है।

(पी.आर.कौशिक)

उप मण्डलीय दण्डाधिकारी (मुख्यालय)

P. R. KAUSHIK
Sub Divisional Magistrate-I (Hq)
Revenue Department
Govt. of NCT of Delhi
5, Sham Nath Marg, Delhi-110054

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
से प्राप्त विवरण

आज दिनांक 23/6/10 को खसरा नं० 275/175/1 , 275/175/2 ग्राम वजीरादाबाद की निशानदेही मशीन द्वारा करवाई गई जिसमें पाया गया कि भूषण त्यागी ने जो दीवार बनाई गई वह गलत है जो कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की भूमि पर बनी है।



P. R. KAUSHIK
Sub Divisional Magistrate-I (Hq)
Revenue Department
Govt. of NCT of Delhi
5, Sham Nath Marg, Delhi-110054

हस्ता०
तहसीलदार – सिविल लाईंस
23/6/2010